

Immediate

No. 33-7/2021-NDM.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

3rd Floor, B Wing, NDCC-II Building
Jai Singh Road, New Delhi- 110001
Dated the 14th August, 2024

To,
The Chief Secretaries,
(All States).


Subject: **Guidelines on Constitution and Administration of Recovery and Reconstruction Funding Window under National Disaster Response Fund (NDRF) and State Disaster Response Fund (SDRF).**

Sir/ Madam,

The Fifteenth Finance Commission (XV-FC) has made provision of funds under Recovery and Reconstruction funding window both within the SDRF and NDRF to help people affected by disasters on a long term basis. Keeping in view the provisions of the Disaster Management Act, 2005 and the recommendations of XV-FC, Government of India has framed Guidelines for the Constitution and Administration of Recovery and Reconstruction Funding Window under National Disaster Response Fund (NDRF) and State Disaster Response Fund (SDRF).

2. A copy of the Guidelines is enclosed for further necessary action at your end. These Guidelines can also be downloaded from the website of Disaster Management Division of Ministry of Home Affairs i.e. www.ndmindia.mha.gov.in.

Encls: As above.


(R K Ahluwalia)
Deputy Secretary to the Govt. of India 14/8
Tel.011- 23438071

Copy to:

1. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
2. Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi.
4. Secretary, Ministry of Jal Shakti, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi.
6. Secretary, Ministry of Panchayati Raj, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Rural Development, New Delhi.
8. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.
9. Member & HoD, National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, A-1 Safdarjung Enclave, New Delhi.
10. Secretaries of All Central Ministries / Departments.
11. Relief Commissioners/ Secretaries, Department of Disaster Management of (All States).
12. Accountants General of all State Governments.
13. Controller General of Accounts (CGA), New Delhi.
14. Comptroller & Auditor General (CAG), New Delhi.

Ministry of Home Affairs
Disaster Management Division

Guidelines on Constitution and Administration of Recovery and Reconstruction Funding Window under National Disaster Response Fund (NDRF) and State Disaster Response Fund (SDRF):

Introduction:

1. The guidelines on Constitution and Administration of NDRF and SDRF were issued by the Ministry of Home Affairs (MHA) vide OM No. 33-03/2021-NDM-I dated 12.01.2022. The guidelines for NDRF and for SDRF were issued under Section 46(2) and Section 62 respectively of the Disaster Management (DM) Act, 2005. The funds under NDRF are to supplement funds from SDRF of a State only for the purpose to facilitate expenditure in case of calamities of a severe nature. However, these guidelines do not completely cover funding for recovery and reconstruction activities to support States as these guidelines are exclusively oriented towards response and relief and the support for recovery and reconstruction is minimal.

Recommendations of the 15th Finance Commission (XV-FC):

2. The 15th Finance Commission (XV-FC) in its report in Chapter-8 titled "Disaster Risk Management" had considered the issue of recovery and reconstruction and had observed in various paras of the Report as reproduced hereunder:

Para 8.64: At present, there is no funding window for recovery and reconstruction to support States. State Governments, therefore, have to request the Union Government for assistance. However, the guidelines for the NDRF and SDRF are oriented towards response and relief, and support for recovery and reconstruction is minimal.

Para 8.65: When States are faced with disasters of rare severity, most of them seek loans from the World Bank, with the approval of the Union Government. However, access to such loans depends upon States' overall borrowings. Besides, States cannot approach the World Bank every time they suffer damage and loss because of such disasters.

Para 8.66: In the past, the Planning Commission and Finance Commission



have opined that resources for recovery should be allocated through development assistance. In the case of disasters of rare severity, the Union Government would provide a part of resources needed for recovery and reconstruction to States through additional Central allocation. However, with the discontinuation of the distinction between Plan and non-Plan expenditure, there is no such mechanism to support States at present.

Para 8.67: Recovery presents an opportunity to get development activities off the ground as governments and communities spend recovery assistance on rebuilding infrastructure and houses, reviving livelihoods and improving civic services. The present near-total expenditure focus on response and relief does not leave any resources left for recovery. Without recovery, development gets seriously affected, which deepens the incidence of poverty and backwardness. Many States in the northern and eastern parts of the country experience flooding on recurrent basis and, without much recovery, these States tend to lag in development, which contributes significantly to regional imbalances.

Para 8.68: Based on a clear appreciation of the pressing needs to rebuild assets and livelihoods, we have recommended setting up a Recovery and Reconstruction Facility, both within the SDRF and NDRF, and suggested that 30percent of the resources available with these two funds be earmarked for this purpose. When the resources are used for recovery and reconstruction, these would help people affected by disasters on a long-term basis.

Para 8.69: Assistance for recovery and reconstruction needs to be determined on the basis of an assessment of damage and loss. **Governments do not pay for the entire cost of recovery and reconstruction, and the assistance could be a percentage of the total cost. Recovery and reconstruction is generally a multi-year programme and the assistance needs to be released annually against expenditures. Further, assistance for recovery and reconstruction needs to be shared between the Union and States.** When we apply these filters -needs assessment, recovery assistance on a partial basis, annual releases against expenditures, and cost-sharing between the Union and States - the cost of recovery and reconstruction can be easily managed on a fiscally sustainable basis.

3. As per XV-FC recommendations assistance for recovery and reconstruction will be determined on the basis of assessment of damage & loss and assistance would be released in annual installments against expenditures. Further, the assistance for recovery and reconstruction will be shared between the Central and State Government as per



provisions of XV-FC recommendations and NDRF & SDRF guidelines issued in this regard. Central Government's assistance from NDRF would be a percentage of the total cost.

4. Therefore, in pursuance to the recommendations of XV-FC, following guidelines as hereunder are issued under Sections 46(2), 48(1)(a) and Section 62 of the, Disaster Management Act, 2005 for the operationalization of the Recovery and Reconstruction (R&R) Funding Window under the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF). These guidelines will be operative from the date of issuance up to the award period i.e., up to financial year 2025-26. However, Projects/activities for which PDNA has already been conducted and PDNA reports have already been submitted to the Ministry of Home Affairs for consideration/appraisal etc. or projects / activities which are recommended by SC-NEC before the date of issuance of the guidelines will also be covered for financial assistance under these guidelines.

Recovery and Reconstruction Measures:

5. The DM Act, 2005 empowers the National, State and District Disaster Management Authorities to take measures for the prevention of disasters, or the mitigation, or preparedness or capacity building or prompt response for dealing with the threatening disaster situation or disasters and also evacuation, rescue and relief or rehabilitation and reconstruction.

6. While recovery and reconstruction has been defined by international agencies in multiple ways, however, in the context of these guidelines recovery means "the restoration or improvement of economic, physical, social, cultural and environmental assets, systems and activities, of a disaster-affected community". Further, as per Section 2(o) of the DM Act, 2005, reconstruction is defined as the "construction or restoration of any property after a disaster".

7. Further, Section 36 (f)(iv), Section 39(f)(iii) and Section 41 (1)(d) of DM Act, 2005 assigns responsibilities respectively to the Ministries/ Departments of Government of India and Departments of State Governments and Local Authorities to provide assistance for carrying out rehabilitation and reconstruction.

Fund Allocation for Recovery and Reconstruction window:

8.1 Out of National Disaster Risk Management Fund (NDRMF), 80 percent funds are



allocated to NDRF and 20 percent to NDMF. Within the NDRF, there would be three sub-allocations (i) Response and Relief (40 percent), (ii) Recovery and Reconstruction (30 percent) and (iii) Preparedness and Capacity Building (10percent). While the funding windows of NDRF and NDMF are not inter-changeable, there could be flexibility for re-allocation within the three sub-windows of NDRF for that financial year subject to the condition that earmarked allocation shall not exceed 10 percent of the amount earmarked for the sub-window.

8.2 Similarly, out of State Disaster Risk Management Fund (SDRMF), 80 percent funds are allocated to SDRF and 20 percent to SDMF. Within the SDRF, there would be three sub-allocations (i) Response and Relief (40 percent), (ii) Recovery and Reconstruction (30 percent) and (iii) Preparedness and Capacity Building (10percent). While the funding windows of SDRF and SDMF are not inter-changeable, there could be flexibility for re-allocation within the three sub-windows of SDRF for that financial year.

Resource Allocation and Earmarking of funds from NDRF / SDRF

9. As recommended by the XV-FC, the aggregate size of the R&R Funding Windows under NDRF and under SDRF for the award period commencing from 2021-22 to 2025-26 would be Rs. 20,539 Crore and Rs. 48,046 crore respectively. Further out of the total allocation under NDRF, XV FC has allocated Rs 1000 Crore to address the issue of resettlement of displaced people affected by erosion at the national level. State-wise allocation from R&R Funding Window under SDRF is at **Annexure-I**. Total approval under the R&R funding window during the XV-FC award period shall not exceed the amount recommended by the XV-FC, as given above.

Calamities covered for Recovery and Reconstruction:

10.1 The SDRF shall be used only for meeting the expenditure for recovery & reconstruction needs of the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst, pest attack and frost & cold wave. Natural calamities of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloudburst, pest attack, frost & cold waves, and requiring expenditure by a State Government in excess of the balances available in its own State Disaster Response Fund (SDRF), will qualify for additional assistance from NDRF, as per the established procedure.



10.2 Funding for Recovery & Reconstruction from NDRF is meant to assist the State to provide additional funds in those cases of severe disaster, where the expenditure required is beyond the coping capacity of the State concerned.

10.3 The State Government is permitted to use 10% fund of the annual allocation under the R&R Funding Window of the SDRF for recovery and reconstruction measures to the victims of natural disasters that they consider to be 'disasters' within the local context in the State and which are not included in list of 12 disasters notified in the SDRF and NDRF guidelines, subject to the condition that the State Government has listed the State specific natural disasters and notified clear and transparent norms and guidelines for such disasters with the approval of the State Authority i.e. the State Executive Committee (SEC). Any amount spent by the State for such disasters over and above the ceiling would be borne out of its own resources and would be subject to the same accounting norms.

Scope of Recovery and Reconstruction Funding Window under NDRF/SDRF:

11.1 As per XV-FC recommendations for allocations from NDRF there will be a two-stage assessment. In the first stage, immediately after the disaster a smaller assessment, largely to ascertain humanitarian and relief needs is to be done. The second assessment will be inter-sectoral and more elaborate covering damage, loss and recovery needs through Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) as per the manual on PDNA designed and developed by the NIDM or any other standard methodology as approved by MHA for carrying out the assessment following a disaster event.

11.2 In the aftermath of a severe disaster, the State Government will constitute a multi-sectoral Team for conducting PDNA in consultation with SDMA/ NDMA (if need be) for detailed assessment of recovery and reconstruction needs. In case the State Government intend to take assistance of international agencies in conducting PDNA, the SDMA shall take the approval from the Department of Economic Affairs (DEA), Government of India. On this request, the DEA will consult with MHA to decide upon the participation of international agencies in supporting PDNA. State Government shall not utilize Disaster management funds (SDRF/ NDRF) for taking assistance from International organizations

11.3 The representatives for multi-sectoral team will be constituted from the pool of resources depending upon the sectoral damage assessment. Constitution of the expert



group must ensure adequate representation of sector experts.

11.4 The State Government based on the assessment of PDNA Report will formulate the projects / activities for funding from SDRF allocated under the R&R window as per approval procedure envisaged in this guideline. In case of disaster of severe nature and beyond the coping capacity of the State, the State Government will submit the PDNA Report to the MHA for seeking additional financial assistance from R&R window of NDRF. State Government shall submit the PDNA Report / Memorandum to the MHA preferably within 3 months from the date of notification of Disaster/event of disaster. It will be ensured by the concerned State Government / SDMA that the activities conceived under the proposal is in convergence with ongoing Central / States schemes. It will also be ensured that there is no duplication while seeking assistance from R&R Funding Window.

11.5 A multi-sectoral team will be constituted by MHA having representatives of the sectoral Ministries/ Department/ Central Agencies. This Team may also have representatives of Inter-Ministerial Central Team (IMCT), which assessed the initial financial assistance from NDRF for rescue and relief on humanitarian grounds. The Team for its assessment will visit the States for ground assessment and will also take into account the initial assessment report of the IMCT

11.6 The report of PDNA and multisectoral team will be shared with NDMA to give its recommendations with proper justification of additional requirement of funds. On the recommendation of NDMA, MHA will assess whether a case for additional assistance from NDRF is made out under these guidelines. The proposals of State Government(s) seeking Additional Central Financial Assistance under these guidelines, multisectoral team report and the recommendation of NDMA, before being placed in SC-NEC, will be sent to the administrative Ministries/Department of the Central Government concerned for their comments and inputs to ensure that there is no duplication with the financial assistance provided under their ongoing schemes or under any special approval for the said calamity.

11.7 For all projects / proposals for which assistance is sought by any State Government from R&R funding window of NDRF, the concerned State Government shall also share the cost on a graded basis from their budget i.e. States' share will be

10% for assistance upto Rs. 250 Crore;

20% for assistance upto Rs. 500 Crore and



25% for all assistance exceeding Rs. 500 Crore

11.8 Normative unit costs permissible under equivalent Government of India schemes will be considered for cost estimation of the eligible items as mentioned in **Annexure-II**. Wherever equivalent Government of India scheme is not available, the corresponding unit cost of State Scheme may be permitted. In addition, where neither GoI scheme nor State rates are available, detailed schedule of rates of the State Government may be considered. Ordinarily for the assistance for recovery and reconstruction under the guidelines, the normative unit cost has been arrived @ 50% of the unit cost for items / activities envisaged under such GoI schemes etc. Accordingly, the scale and quantum of assistance for recovery and reconstruction as per items and norms in respective sectors, is indicated in **Annexure II**.

11.9 The assistance for damage will be provided only for total damage (more than 70%) and severe damage (30-70%). For partial damage, assistance from Response and Relief window may be provided.

11.10 The recovery and reconstruction activities shall be carried out on approved site by following the prescribed by-laws / norms of the authority concerned.

11.11 The assistance available for the items for immediate relief as envisaged under the present SDRF/ NDRF norms will be continued to ensure immediate restoration of livelihood and infrastructure, where ever required. While providing assistance for Recovery & Reconstruction needs, the assistance already extended under SDRF/NDRF will be subsumed in order to provide sequential assistance.

11.12 The sector-wise allocation under R&R Funding Window can be sanctioned by the SEC in case of SDRF and by SC-NEC/ HLC, MHA in case of NDRF, as per the prescribed procedure under these guidelines and sector-wise detailed proposal on Build Back Better (BBB) approach. A list of activities which can be considered under R&R project is given at **Annexure-II**. However, for providing additional assistance from NDRF where the State(s) has faced a disaster of severe nature, a flexible approach in sector-wise activities may be adopted in items other than those listed in **Annexure-II** on case-to-case basis provided that the items / activities have been assessed by IMCT /PDNA team essential and justified and apprised by NDMA and also recommended by SC-NEC.

Exclusions for utilization of R&R Funding Window of NDRF / SDRF



12.1 Resources under R&R Funding Window cannot be used towards establishment expenditures such as salaries, office expenditure, etc. to be incurred by the Disaster Management Authorities or other entities. These activities to be supported from State Government Budget.

12.2 Resources under R&R Funding Window shall not be used for creating the routine and regular works of State Governments /NDMA / SDMAs/ District Disaster Management Authorities (DDMAs).

12.3 R&R Funding Window shall not be used as a source of funding for existing Government programmes / ongoing schemes etc. which are under implementation.

12.4 R&R Funding Window must have a predominant focus on reconstruction of damaged critical and important social infrastructure and should not be used for cost of any land parcel, any new building infrastructure, general environmental improvement, plantations, afforestation or landscape beautification etc. without a clear, logical and direct linkage to hazards.

12.5 All recovery and reconstruction activities would need to be undertaken and completed within the time-frame as specified in the approved proposal. Cost and time-frame for such proposals should ideally not be revised barring, some exceptional circumstances. Any cost escalation will have to be borne by the State Government. The liabilities committed from R&R window will be till the financial year 2025-26, the period of the XV-FC recommendation.

Implementation of Guidelines

13. NDMA will advise the SDMAs in the projects launched /being implemented under the R&R Funding Window including prescribing specific format for seeking information /project proposals etc. In addition,

- The SDMA will be the nodal entity to implement recovery and reconstruction measures. Based on the outcomes of PDNA, the SDMA will be responsible for developing recovery and reconstruction plan, determining recovery framework, institutional structure, recovery strategy and policies along with the timeline.
- The SDMA will detail out the institutional arrangements and roles and



responsibilities of various stakeholders. The SDMA may constitute a Program Management Unit to manage the overall recovery program which will be funded from the budget of the State Government and not from SDRF/ NDRF.

- The SDMA may seek technical assistance from NDMA/ NIDM or other technical Institutions for building capacities of State Government Officials, District Officials, Line departments and grassroot functionaries to ensure effectiveness of recovery interventions.
- Projects to be undertaken from NDRF / SDRF must have verifiable and tangible/ measurable outcomes
- NDMA will constitute a Technical Advisory Committee (TAC) headed by a Member of NDMA with representatives from the line Departments, State Government concerned and subject matter experts for technical advice on recovery and reconstruction plan.
- The expenditure of the TAC, if any, will be funded through the regular budget of NDMA and not from the R&R funding window.

Administrative Mechanism for processing of funding proposals Under SDRF: -

14. State Governments, will carry out a PDNA and prepare their respective recovery and reconstruction plan. The PDNA findings and recovery and reconstruction plan will be forwarded to SDMA for appraisal and approval. If needed, State Government may take technical assistance from NDMA & NIDM.

15. SDMA will constitute a committee to be headed by a Member of SDMA / Head of Department (HoD) with members from line Departments of the State Government and the State agencies / entitled for appraisal / evaluation of the proposals / projects under R&R Funding Window of SDRF / NDRF.

16. The recommendations of the committee shall be placed before the SEC for consideration and the procedure in place for incurring expenditure from SDRF shall continue to apply *mutatis-mutandis* for R&R Funding Window of SDRF/NDRF including all modalities.

17. SEC constituted by the State Government under the provisions of the DM Act, 2005, shall decide on all matters connected with the administration of R&R Funding Window of SDRF. The State Government will certify that funds released from R&R window of NDRF/ SDRF are utilized for the purpose they have been released and also monitor the



compliance to the guidelines of R&R. The State Govt. shall ensure that amount is not diverted to inadmissible project activities expenditure. The State Govt. has to ensure that expenditure is only on approved projects activities.

Under NDRF: -

18. Projects/ proposals/ PDNA report submitted by the State Government for funding under R&R Funding Window of NDRF should have approval of the State Executive Committee (SEC).

19. The proposal of the State Government will be examined to assess the likely requirement of funds. If the preliminary examination reveals that there are adequate funds in SDRF with the State for recovery and reconstruction as per norms, the State would be advised accordingly.

20. The Assessment Report of the Central Team along with comments of NDMA and Central Ministries/ Department shall be placed by MHA before the Sub-Committee of the National Executive Committee (SC-NEC) for consideration. Proposals, with the recommendations of SC-NEC, will be placed before High Level Committee (HLC). The HLC will approve the proposals for undertaking recovery and reconstruction activities.

20 (a). As the first charge for providing assistance during a disaster should be on SDRF, the release of additional assistance from NDRF will be subject to an adjustment of 50% of the balance available in the R&R window of SDRF as of 1st April of the financial year after the adjustment of committed liabilities of project approved under R&R window. From the date of issue of these guidelines the State Government will maintain receipts, expenditure and balance available in the R&R window in the prescribed format envisaged in the SDRF guidelines.

Release of funds:

21. Upon the approval of HLC, Department of Expenditure, Ministry of Finance will release assistance from R&R Funding Window of NDRF to the State Government concerned based on the recommendations of the MHA. Procedure as *in vogue* in the State for the release of funds under NDRF shall apply for R&R Funding Window.

22. Upon sanctioned by SEC, funds will be released to the States from R&R



Funding Window under SDRF. Procedure as *in vogue* in the State for the release of funds under SDRF shall apply for R&R Funding Window.

23. In case, in the State Governments' projects, if the unit cost of component exceeds the amount prescribed as per the corresponding normative unit costs permissible under equivalent Government of India's schemes / State Government's concerned Schemes, the excess expenditure will be borne from the budget of the State Government and not be charged to SDRF or NDRF.

24. After the project is approved by HLC in case of NDRF, the funds will be released in three installments of 30%, 40% and 30% of the approved amount subject to utilization of 75% of the previously released amount. The disbursement of funds would be linked to the deliverables and Utilization Certificates. The unspent balance in the R & R Funding Window under SDRF account as at the end of a financial year shall be the opening balance of said account of the successive financial year. The Central Government will communicate the modalities for handling any balances available at the end of financial year 2025-26 in R&R Funding Window under SDRF of the State.

Supervision of Projects:

25. NDMA / SDMA's need to evaluate recovery and re-construction activities, prepare plans for the deficiencies observed either in recovery or re-construction. Such plans need to specify measures for hazard resilience infrastructure for future hazards.

26. NDMA / SDMA's shall supervise and monitor the implementation of the R&R projects and in this process can seek progress / performance reports from the Implementing Partners. NDMA shall submit progress report to MHA. In case of any shortfall in the progress of the R&R project, NDMA may take special measures, if required, for smooth and timely implementation of the project.

27. SDMA's shall assist and provide technical advice to the State Government / Line Ministries / Departments from conceptualization to completion of the R&R proposals under SDRF.

28. SDMA's shall supervise and monitor the R&R projects/ works and submit completion certificate with GIS tagging as well as actual benefits achieved from it including population benefited / nature of risks reduced/ impact analysis etc. to State Government



and NDMA.

Monitoring by the Ministry of Home Affairs:

29. The Ministry of Home Affairs (MHA) is the nodal Ministry for overseeing the operation of NDRF / SDRF, and shall monitor compliance with the prescribed processes. MHA may issue directions/ instructions under the DM Act, 2005. MHA will oversee the utilization of funds released from NDRF and to ensure that funds are utilized for the purpose they have been released and monitor compliance with the guidelines of NDRF. States will need to provide the required information to MHA.

Procurement:

30. All the procurements made by government agencies for implementing the proposal would be in accordance with the General Financial Rules (GFR) 2017/ State Procurement Procedure and from GeM portal, as applicable. The implementing agencies would ensure that the project is implemented in a fair and transparent manner. In the entire implementation process, it needs to be ensured that there is no conflict of interest. Appropriate GFR will be followed by States and Government supported Organizations.

Project Database:

31. A disaster database should be developed to help assess the impact of expenditures on different aspects of disaster management. All the project-related processes would be digitized. NDMA will maintain a national portal of all the recovery and reconstruction projects that have been implemented through the NDRF / SDRF. This portal will contain a specific component for recovery and reconstruction including the details relating to loss & damage, recovery assistance, project components, expenditure, reviews, evaluation and outcome. MHA/ NDMA will also monitor the database by holding periodic review.

Release, Accounting, Auditing and other procedures

32. Save as otherwise provided under this Guidelines, the detailed funding pattern, release of funds, investment of funds, accounting & auditing procedures, progress monitoring, savings and cost of maintenance / implementation etc. in respect of the



projects initiated under R&R Funding Window would be same, as envisaged in the primary guidelines issued by MHA on NDRF/ SDRF for such purpose vide MHA's OM No.33-03/2021-NDM-I dated 12.01.2022. The composition of HLC and SC-NEC will also be same as envisaged in the primary guidelines issued by MHA for NDRF / SDRF.

Interpretation and Amendment

33. In case of any difficulty in interpretation of any of these guidelines, the matter shall be referred to the Ministry of Home Affairs, whose decision in consultation with Department of Expenditure shall be final. Any amendment in this guideline will be issued by MHA in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'dy', with a horizontal line underneath.

Annexure-I

State-wise allocation for R&R Funding Window under SDRF

(Rs. In Crore)

S. No.	Name of State	Union Share	State Share	Total
1.	Andhra Pradesh	1854.9	616.8	2471.7
2.	Arunachal Pradesh	414.6	46.2	460.8
3.	Assam	1280.4	142.2	1422.6
4.	Bihar	2347.2	782.4	3129.6
5.	Chhattisgarh	716.1	238.8	954.9
6.	Goa	18.9	6	24.9
7.	Gujarat	2194.8	731.1	2925.9
8.	Haryana	814.5	271.2	1085.7
9.	Himachal Pradesh	677.4	75	752.4
10.	Jharkhand	941.4	313.2	1254.6
11.	Karnataka	1310.7	436.5	1747.2
12.	Kerala	521.4	173.4	694.8
13.	Madhya Pradesh	3017.7	1005.6	4023.3
14.	Maharashtra	5340.9	1780.2	7121.1
15.	Manipur	70.2	7.8	78
16.	Meghalaya	108.9	12	120.9
17.	Mizoram	77.7	8.4	86.1
18.	Nagaland	68.4	7.8	76.2
19.	Odisha	2659.5	886.2	3545.7
20.	Punjab	820.8	273.6	1094.4
21.	Rajasthan	2455.8	818.1	3273.9
22.	Sikkim	83.7	9.3	93
23.	Tamil Nadu	1691.1	563.7	2254.8
24.	Telangana	744.9	248.1	993
25.	Tripura	113.4	12.6	126
26.	Uttar Pradesh	3205.5	1068.3	4273.8
27.	Uttarakhand	1553.4	172.2	1725.6
28.	West Bengal	1676.1	558.9	2235
	Total	36780.3	11265.6	48045.9

Items and Norms for Assistance under Recovery and Reconstruction Window

Sector & Unit	Item	Totally Damaged (More than 70%)		Severely Damaged* (30 - 70% damage)	
		(in lakhs)		(in lakhs)	
Housing (Unit- Number)	Plain Area - Pucca House/ Kuccha House.	1.80		0.90	
	Hill Area - Pucca House/ Kutcha House.	2.00		1.00	
Education (Unit- Number)	Primary School	15		7.5	
	Secondary / Senior Secondary School	25		12.5	
Health (Unit- Number)	Sub-centre (Plain)	18.4		9.2	
	Sub-centre (Hilly)	15.81		7.91	
	Primary Health centre (Plain)	41.97		20.99	
	Primary Health Centre (Hilly)	49.45		24.72	
Centre (Plain)	Community Health Centre (Plain)	158.12		79.06	
	Community Health Centre (Hilly)	185.72		92.86	
Item	Item	Totally Damaged (More than 70%)		Severely Damaged* (30 - 70% damage)	
		(in lakhs)		(in lakhs)	
Community Buildings (Unit- Number)	Anganwadi	6		3	
	Gram Panchayat/ Patwarkhana etc	10		5	
Road & Transport (unit per K.M)	j) Major District Roads (MDR) Total damages including				



		breaches/severe damages)		
	Plain Area	64.00	32.00	
	Hilly Area	187.75	93.75	
ii)	Other District Roads (ODR) Total damages including breaches/severe damages)			
	Plain Area	54.5	26.75	
	Hilly Area	159.88	80.00	
	iii) Village Roads (ODR) Total damages including breaches/severe damages)			
	Plain Area	36.75	18.25	
	Hilly Area	133.75	67.00	
iv)	Other items			
	Bridges (per number)	3500	1750	
	Embankments (per K.M.)	100	50	
	Box Culvert (per number as per meter or per meter whichever is lower)			10

du

Drinking Water (Unit- Number)	Water Filtration Plant	0.5	0.25
	Storage Tank	15	7.5
	Equipments and Machinery	1	0.5
	Intake Pipeline (Per M)	0.01	0.01
	Distribution Pipelines (Per M)	0.01	0.01
	Decentralised STP- (Upto 5000 People)	7	3.5
	Decentralised STP- (More than 5000 People)	33	16.5
Sanitation (Unit- Number)	Sewer Line (Per m)	0.01	0.01
	Community Toilets	3	1.5
Inland Fisheries (Units-Per Ha Maximum 1 Ha)	Fish Ponds - Plain Area/ Hilly Area	1.75	0.875
	Fish Ponds - Hilly Area	1.75	0.875

De

Sericulture (Units-Number)	Physical Infrastructure-Farmer-Sericulture	2.5	1.25
Artisans (Units-Number)	Equipments and Machines	0.25	

1) The aforesaid norms/ assistance shall be subject to the following conditions:

- i) The assistance from the R&R window of SDRF/ NDRF under the Road and Transport Sector shall be subject to the condition that expenditure, in no case, should exceed 50% of SDRF allocation under this window (Recovery and Reconstruction) for the year.
 - ii) Admissible assistance for the eligible items under the guidelines of Recovery and Reconstruction shall be the above amount prescribed under the items and norms or the amount estimated as per the State's Scheduled of Rates, whichever is lower.
- 2) Assistance for totally damaged is equivalent to 50% of the assistance provided in relevant Government of India Scheme, or derived through expert consultation and inputs from relevant ministries.
 - 3) Assistance for severely damaged is equivalent to 50% of the assistance calculated of totally damaged.
 - 4) Classification of damage (totally and severely) of the infrastructure to be determined during Post Disaster Needs Assessment as per NIDM guidelines.
 - 5) The amount for financial assistance provided for recovery and reconstruction will also be subject to adjustment of assistance given for the particular time at the time of relief.

des

गृहमंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण निधि खिड़की के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देश:

परिचय:

1. गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देश अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-03/2021-एनडीएम-1 दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से जारी किए गए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दिशा-निर्देश आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 की धारा 46(2) और धारा 62 के तहत जारी किए गए थे। एनडीआरएफ के तहत निधियों का उद्देश्य केवल गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में व्यय की सुविधा के उद्देश्य से किसी राज्य के एसडीआरएफ से पूरक राशि जोड़ने के लिए है। हालाँकि, ये दिशा-निर्देश राज्यों को सहायता देने के लिए रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं क्योंकि ये दिशानिर्देश विशेष रूप से मोचन और राहत की ओर उन्मुख हैं और रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए सहायता न्यूनतम है।

15वें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिशें:

2. 15वें वित्त आयोग (XV-FC) ने अध्याय-8 में "आपदा जोखिम प्रबंधन" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में रिकवरी और पुनर्निर्माण के मुद्दे पर विचार किया था और रिपोर्ट के विभिन्न अनुच्छेदों में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

पैरा 8.64 वर्तमान में, राज्यों को प्रश्रय देने हेतु रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए कोई भी वित्तपोषण विंडो नहीं है। राज्यों को सहायता के लिए संघ सरकार से अनुरोध करना



पड़ता है। तथापि, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए दिशानिर्देश रेस्पोंस और राहत की दिशा में अभिमुख हैं, और रिकवरी एवं पुननिर्माण के लिए प्रश्रय न्यून है।

पैरा 8.65 जब राज्यों को असाधारण गंभीर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तब अधिकांश राज्य संघ सरकार के अनुमोदन के साथ विश्व बैंक से ऋण लेते हैं। तथापि, इस प्रकार के ऋणों की प्राप्ति राज्यों के समग्र उधारों पर निर्भर करती है। इसके अलावा, राज्य उक्त आपदाओं के कारण हुई क्षति और हानि के वित्तपोषण के लिये बार-बार विश्व बैंक के पास नहीं जा सकते हैं।

पैरा 8.66 विगत में, योजना आयोग और वित्त आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि रिकवरी के लिए संसाधनों को विकास सहायता के माध्यम से आबंटित किया जाना चाहिए। असाधारण गंभीर आपदाओं की स्थिति में, संघ सरकार राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय आबंटन के माध्यम से रिकवरी एवं पुननिर्माण के लिए अपेक्षित संसाधनों का एक हिस्सा उपलब्ध कराती है। तथापि, योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के बीच विभेद समाप्ति के साथ, राज्यों को प्रश्रय करने हेतु वर्तमान में कोई पध्दति नहीं है।

पैरा 8.67 रिकवरी विकास कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप से कार्यवाहित करने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि सरकारें और समुदाय रिकवरी सहायता को बुनियादी ढांचे और घरों के पुननिर्माण पर, आजीविकाओं को बहाल करने तथा बुनियादी सेवाओं में सुधार लाने पर खर्च करते हैं। वर्तमान में, आपदा प्रबंधन हेतु आबंटित किया गए संसाधनों के रेस्पोंस और राहत पर केंद्रित रहने के कारण रिकवरी हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बिना रिकवरी के विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जो गरीबी एवं पिछड़ेपन को बढ़ाता है। देश के उत्तर और पूर्वी भागों के अनेक राज्यों में जहां बाढ़ बार-बार आती है और उक्त राज्य अपेक्षित रिकवरी के बिना विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलनों में भारी वृद्धि होती है।

des

पैरा 8.68 परिसम्पत्तियों और आजीविकाओं के पुननिर्माण हेतु अत्यावश्यकताओं की स्पष्ट मूल्यांकन के आधार पर, हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों के अंतर्गत एक रिकवरी एवं पुननिर्माण सुविधा की स्थापना करने की अनुशंसा की है और यह सुझाव दिया है कि इनदोनों कोषों के पास उपलब्ध संसाधनों के 30 प्रतिशत को इस प्रयोजन हेतु अलग से निर्धारित किया जाए। जब रिकवरी और पुननिर्माण के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तब इनसे उन लोगों को दीर्घकालिक आधार पर सहायता मिलेगी जो आपदाओं से प्रभावित हुए हों।

पैरा 8.69 रिकवरी और पुननिर्माण के लिए सहायता का निरधारण क्षति एवं हानि के आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकारें रिकवरी और पुननिर्माण की संपूर्ण लागत का भुगतान नहीं करती है, सहायता कुल लागत का कुछ प्रतिशत के बराबर हो सकती है। रिकवरी और पुननिर्माण आमतौर पर एक बहुवर्षीय कार्यक्रम है, इसलिए किए गए व्ययों के बदले दी जानेवाली सहायता को वार्षिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, रिकवरी और पुननिर्माण के लिए सहायता को संघ और राज्यों के बीच साझा किए जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता मूल्यांकन, आंशिक आधार पर रिकवरी सहायता, व्ययों के प्रतिकूलवार्षिक आधार पर जारी करता है और संघ तथा राज्यों के बीच लागत साझा करने जैसे फिल्टरों के माध्यम से रिकवरी और पुननिर्माण को सतत राजकोषीय आधार पर आसानी से प्रबंध किया जा सकता है।

3. 15वें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिशों के अनुसार, रिकवरी और पुननिर्माण के लिए सहायता का निर्धारण क्षति और नुकसान के आकलन के आधार पर किया जाएगा और वार्षिक किस्तों में सहायता व्यय के विरुद्ध जारी की जाएगी। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच रिकवरी और पुननिर्माण के लिए सहायता 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और इस संबंध में जारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, साझा की जाएगी। एनडीआरएफ से केंद्र सरकार की सहायता कुल लागत का कुछ प्रतिशत होगी।

dy

4. इसलिए, 15वें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिशों के अनुसरण में, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के संचालन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (2), 48 (1) (ए) और धारा 62 के तहत निम्नलिखित के अनुसार दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से लेकर अवार्ड अवधि तक यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक लागू रहेंगे। हालांकि, ऐसी परियोजनाएँ / गतिविधियाँ जिनके लिए पीडीएनए पहले ही आयोजित किया जा चुका है और पीडीएनए रिपोर्ट विचार/ मूल्यांकन आदि के लिए पहले ही गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की जा चुकी है या ऐसी परियोजनाएँ / गतिविधियाँ, जो दिशानिर्देश जारी होने की तिथि से पहले एससी-एनईसी द्वारा अनुशंसित हुए हैं, उन्हें भी इन दिशानिर्देशों के तहत वित्तीय सहायता के लिए कवर किया जाएगा।

रिकवरी एवं पुनर्निर्माण उपाय:

5. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदाओं की रोकथाम, या शमन, या तैयारी या क्षमता निर्माण या आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदाओं से निपटने के लिए त्वरित मोचन तथा निकासी, बचाव और राहत या पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है।

6. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कई तरीकों से रिकवरी और पुनर्निर्माण को परिभाषित किया है, लेकिन इन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में रिकवरी का मतलब है "आपदा प्रभावित समुदाय की आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संपत्तियों, प्रणालियों और गतिविधियों की रिकवरी या सुधार"। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(ण) के अनुसार, 'पुनर्निर्माण' - से आपदा के पश्चात् किसी सम्पत्ति का सन्निर्माण या प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है;

Dev

7. इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 36 (च) (iv), धारा 39 (च) (iii) और धारा 41 (1) (घ) क्रमशः 'प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा'।

रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के लिए निधि आवंटन:

8.1 राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएफ) में से 80 प्रतिशत निधि एनडीआरएफ को और 20 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) को आवंटित की गई है। एनडीआरएफ के भीतर, तीन उप-आवंटन होंगे (i) प्रतिक्रिया और राहत (40 प्रतिशत), (ii) रिकवरी और पुनर्निर्माण (30 प्रतिशत) और (iii) तैयारी और क्षमता निर्माण (10 प्रतिशत)। जबकि एनडीआरएफ और एनडीएमएफ की फंडिंग विंडो परस्पर-परिवर्तनीय नहीं हैं, तथापि वित्तीय वर्ष में एनडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुनःनिर्धारण के लिए लचीलापन हो सकता है, इस शर्त के अधीन कि निर्धारित आवंटन उप-विंडो के लिए निर्धारित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

8.2 इसी प्रकार, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएफ) में से 80 प्रतिशत धनराशि एसडीआरएफ को और 20 प्रतिशत राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) को आवंटित की गई है। एसडीआरएफ के भीतर, तीन उप-आवंटन होंगे (i) मोचन और राहत (40 प्रतिशत), (ii) रिकवरी और पुनर्निर्माण (30 प्रतिशत) और (iii) तैयारी और क्षमता निर्माण (10 प्रतिशत)। यद्यपि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ की फंडिंग विंडो परस्पर-परिवर्तनीय नहीं हैं, तथापि वित्तीय वर्ष में एसडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुनः निर्धारण के लिए लचीलापन हो सकता है।

एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ से संसाधन आवंटन और निधियों का निर्धारण:

9. जैसाकि 15वें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा अनुशंसित किया गया है, 2021-22 से 2025-26 तक शुरू होने वाली पंचाट अवधि के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ

du

के तहत एसडीआरएफ फंडिंग विंडो का कुल आकार क्रमशः 20,539 करोड़ रुपये और 48,046 करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा, एनडीआरएफ के तहत कुल आवंटन में से, XV FC ने राष्ट्रीय स्तर पर कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एसडीआरएफ के तहत एसडीआरएफ फंडिंग विंडो से राज्यवार आवंटन **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। 15वें वित्त आयोग (XV-FC) अवार्ड अवधि के दौरान आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत कुल अनुमोदन 15वें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा, जैसाकि ऊपर दिया गया है।

रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए कवर की गई आपदाएँ:

10.1 एसडीआरएफ का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले और ठंड और शीत लहर के पीड़ितों की रिकवरी और पुनर्निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, ठंड और शीत लहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय जब राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के एसडीआरएफ, में उपलब्ध शेष राशि से अधिक व्यय की आवश्यकता होगी तब स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता के लिए अर्हता होगी।

10.2 एनडीआरएफ से रिकवरी एवं पुनर्निर्माण से वित्त पोषण का उद्देश्य राज्य को गंभीर आपदा के उन मामलों में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए है, जहां अपेक्षित व्यय संबंधित राज्य की सामना करने की क्षमता से परे हो।

10.3 राज्य सरकार को एसडीआरएफ के आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत वार्षिक आवंटन के 10% फंड का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए

Dus

रिकवरी और पुनर्निर्माण उपायों के लिए करने की अनुमति है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दिशानिर्देशों में अधिसूचित 12 आपदाओं की सूची में शामिल नहीं हैं, यह अनुमति इस शर्त के अधीन है कि राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं को सूचीबद्ध किया है और राज्य प्राधिकरण यानी राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के अनुमोदन से ऐसी आपदाओं के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड और दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। राज्य द्वारा ऐसी आपदाओं के लिए तय सीमा से अतिरिक्त खर्च की गई कोई भी राशि उसके अपने संसाधनों से वहन की जाएगी और उसका लेखांकन भी निर्धारित मानदंडों के अधीन होगी।

एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो का दायरा:

11.1 एनडीआरएफ से आवंटन के लिए 15वें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिशों के अनुसार दो-चरणीय मूल्यांकन होगा। पहले चरण में, आपदा के तुरंत बाद एक लघु मूल्यांकन किया जाना है, जो मुख्य रूप से मानवीय और राहत आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किया जाएगा। दूसरा मूल्यांकन अंतर-क्षेत्रीय और अधिक विस्तृत होगा, जिसमें आपदा के बाद क्षति, हानि और रिकवरी की जरूरतों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) द्वारा डिजाइन और विकसित पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) मैनुअल के या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मानक पद्धति के अनुसार पीडीएनए किया जाएगा।

11.2 किसी भीषण आपदा के बाद, राज्य सरकार रिकवरी और पुनर्निर्माण की जरूरतों के विस्तृत आकलन के लिए एसडीएमए/ एनडीएमए (यदि आवश्यक हो) के परामर्श से पीडीएनए आयोजित करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय टीम का गठन करेगी। यदि राज्य सरकार पीडीएनए आयोजित करने में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता लेने का इरादा रखती है, तो एसडीएमए भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग से अनुमोदन प्राप्त करेगी। इस अनुरोध पर, आर्थिक मामलों के विभाग पीडीएनए में सहायता करने में

du

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय से परामर्श करेगा। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता लेने के लिए आपदा प्रबंधन निधि (एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ) का उपयोग नहीं करेगी।

11.3 बहु-क्षेत्रीय टीम के प्रतिनिधियों का गठन सेक्टरल क्षति के आकलन आधार पर संसाधनों के पूल से किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह के गठन में क्षेत्र के विशेषज्ञों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

11.4 राज्य सरकार पीडीएनए रिपोर्ट में आकलन के आधार पर इस दिशानिर्देश में परिकल्पित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार आरएंडआर विंडो के तहत आवंटित एसडीआरएफ से वित्त पोषण के लिए परियोजनाएं/ गतिविधियां तैयार करेगी। गंभीर प्रकृति की आपदा और राज्य की सामना करने की क्षमता से परे होने की स्थिति में, राज्य सरकार एनडीआरएफ की आरएंडआर विंडो से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय को पीडीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार आपदा/आपदा की घटना की अधिसूचना की तारीख से अधिमानतः 3 महीने के भीतर गृह मंत्रालय को पीडीएनए रिपोर्ट/ज्ञापन प्रस्तुत करेगी। संबंधित राज्य सरकार/एसडीएमए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्ताव के तहत विचार की गई गतिविधियां चल रही केंद्र/राज्य योजनाओं के अनुरूप हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आरएंडआर फंडिंग विंडो से सहायता मांगते समय कोई दुहराव न हो।

11.5 गृह मंत्रालय द्वारा एक बहु-क्षेत्रीय टीम गठित की जाएगी जिसमें सेक्टरल मंत्रालयों/ विभागों/ केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस टीम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, जिसने मानवीय आधार पर बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ से प्रारंभिक वित्तीय सहायता का आकलन किया था। अपने आकलन के लिए टीम जमीनी आकलन के लिए राज्यों का दौरा करेगी और IMCT की प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेगी।



11.6 पीडीएनए और बहु-क्षेत्रीय टीम की रिपोर्ट एनडीएमए के साथ साझा की जाएगी ताकि वह अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के उचित औचित्य के साथ अपनी सिफारिशें दे। एनडीएमए की सिफारिश पर, गृह मंत्रालय यह आकलन करेगा कि क्या इन दिशानिर्देशों के तहत एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता का मामला बनता है। इन दिशानिर्देशों के तहत अतिरिक्त केंद्रीय वित्तीय सहायता की मांग करने वाले राज्य सरकारों के प्रस्ताव, बहु-क्षेत्रीय टीम की रिपोर्ट और एनडीएमए की सिफारिश को एससी-एनईसी में रखे जाने से पहले, केंद्र सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को उनकी टिप्पणियों और इनपुट के लिए भेजा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी चल रही योजनाओं के तहत या उक्त आपदा के लिए किसी विशेष अनुमोदन के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता में कोई दोहराव न हो।

11.7 सभी परियोजनाओं/ प्रस्तावों जिनके लिए किसी राज्य सरकार द्वारा एनडीआरएफ की आरएंडआर फंडिंग विंडो से सहायता मांगी जाती है, संबंधित राज्य सरकार अपने बजट से क्रमिक आधार पर लागत साझा करेगी। राज्यों का हिस्सा:

250 करोड़ रुपये तक के लिए 10% की सहायता,

500 करोड़ रुपये तक के लिए 20% की सहायता और

500 करोड़ रुपये से अधिक की सभी के लिए 25% सहायता होगी।

11.8 भारत सरकार की समतुल्य योजनाओं के अंतर्गत अनुमेय मानक इकाई लागत को **अनुलग्नक-II** में उल्लिखित ग्राह्य मदों की लागत अनुमान के लिए माना जाएगा। जहाँ भी भारत सरकार की समतुल्य योजना उपलब्ध नहीं है, वहाँ राज्य योजना की संगत इकाई लागत की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ न तो भारत सरकार की योजना और न ही राज्य की दरें उपलब्ध हैं, वहाँ राज्य सरकार की दरों की विस्तृत अनुसूची पर विचार किया जा सकता है। आमतौर पर दिशा-निर्देशों के तहत रिकवरी और

dey

पुनर्निर्माण की सहायता के लिए, भारत सरकार की योजनाओं आदि के तहत परिकल्पित वस्तुओं/ गतिविधियों के लिए इकाई लागत के 50% की दर से मानक इकाई लागत निर्धारित की गई है। तदनुसार, संबंधित सेक्टर में मदों और मानदंडों के अनुसार रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए सहायता का पैमाना और मात्रा **अनुलग्नक II** में दर्शाई गई है।

11.9 क्षति के लिए सहायता केवल कुल क्षति (70% से अधिक) और गंभीर क्षति (30-70%) के लिए प्रदान की जाएगी। आंशिक क्षति के लिए प्रतिक्रिया और राहत विंडो से सहायता प्रदान की जा सकती है।

11.10 रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ अनुमोदित स्थल पर संबंधित प्राधिकरण के निर्धारित उपनियमों/ मानदंडों का पालन करते हुए की जाएंगी।

11.11 एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के वर्तमान मानदंडों के तहत परिकल्पित मदों के लिए उपलब्ध तत्काल राहत सहायता को जारी रखा जाएगा ताकि जहां भी आवश्यक हो, आजीविका और बुनियादी ढांचे की तत्काल बहाली सुनिश्चित की जा सके। रिकवरी और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करते समय, एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत पहले से दी गई सहायता को क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया जाएगा।

11.12 आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत सेक्टर-वार आवंटन, एसडीआरएफ के मामले में एसईसी द्वारा और एनडीआरएफ के मामले में एससी-एनईसी/एचएलसी, गृह मंत्रालय द्वारा इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया और सेक्टरवार विस्तृत प्रस्ताव बिल्ड बैक बेटर (बीबीबी) दृष्टिकोण के अनुसार मंजूर किया जा सकता है। आरएंडआर परियोजना के तहत जिन गतिविधियों पर विचार किया जा सकता है उनकी सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है। हालांकि, जहां राज्य(यों) ने गंभीर प्रकृति की आपदा का सामना किया है, वहां एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए, मामले-दर-मामला आधार पर **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध मदों के अलावा अन्य मदों में सेक्टरवार



गतिविधियों में लचीला दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, बशर्ते कि मदों/ गतिविधियों का आईएमसीटी/ पीडीएनए टीम द्वारा आवश्यक और उचित मूल्यांकन किया गया हो और एनडीएमए द्वारा मूल्यांकन किया गया हो और एससी-एनईसी द्वारा भी सिफारिश की गई हो।

एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के आरएंडआर फंडिंग विंडो के उपयोग के लिए निषेधित खण्ड:

12.1 आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत संसाधनों का उपयोग आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों या अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले वेतन, कार्यालय व्यय आदि जैसे स्थापना व्यय के लिए नहीं किया जा सकता है। इन गतिविधियों को राज्य सरकार के बजट से पोषित किया जाएगा।

12.2 आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत संसाधनों का उपयोग राज्य सरकारों / एनडीएमए / एसडीएमए / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के नियमित कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

12.3 आरएंडआर फंडिंग विंडो का उपयोग मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों/ चल रही योजनाओं, जो कार्यान्वयन के अधीन हैं आदि के लिए वित्तपोषण के स्रोत के रूप में नहीं किया जाएगा।

12.4 आरएंडआर फंडिंग विंडो का प्रमुख फोकस क्षतिग्रस्त जरूरी और महत्वपूर्ण सामाजिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर होना चाहिए और इसका उपयोग किसी भी भूमि खंड, किसी भी नए भवन के बुनियादी ढांचे, सामान्य पर्यावरणीय सुधार, वृक्षारोपण, वनरोपण या परिदृश्य सौंदर्यीकरण आदि की लागत के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका खतरों से कोई स्पष्ट, तार्किक और सीधा संबंध नहीं है।

12.5 सभी रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों को स्वीकृत प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शुरू और पूरा करना होगा। ऐसे प्रस्तावों के लिए लागत और समय-



सीमा को आदर्श रूप से कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी लागत वृद्धि को राज्य सरकार को वहन करना होगा। आरएंडआर विंडो से प्रतिबद्ध देयताएं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक होंगी, जो 15वें वित्त आयोग (XV-FC) अनुशंसा की अवधि है।

दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन:

13. एनडीएमए आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत शुरू की गई/ कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में एसडीएमए को सलाह देगा, तथा सूचना/ परियोजना प्रस्ताव आदि प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रारूप को निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त,

- एसडीएमए रिकवरी और पुनर्निर्माण उपायों को लागू करने के लिए नोडल इकाई होगी। पीडीएनए के परिणामों के आधार पर, एसडीएमए रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना विकसित करने, रिकवरी फ्रेमवर्क बनाने, संस्थागत संरचना, रिकवरी रणनीति और नीतियों के साथ-साथ समय-सीमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

- एसडीएमए संस्थागत व्यवस्थाओं और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण बनाएगा। एसडीएमए सम्पूर्ण रिकवरी कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन कर सकता है, जिसे राज्य सरकार के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा ना की एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ से।

- एसडीएमए रिकवरी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों, जिला अधिकारियों, संबंधित विभागों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए एनडीएमए/ एनआईडीएम या अन्य तकनीकी संस्थानों से तकनीकी सहायता मांग सकता है।

- एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के परिणाम सत्यापन योग्य मूर्त एवं मापनीय होने चाहिए।



- रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना पर तकनीकी सलाह के लिए एनडीएमए एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य करेंगे, जिसमें संबंधित विभागों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- टीएसी का व्यय, यदि कोई हो, एनडीएमए के नियमित बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, न कि आरएंडआर फंडिंग विंडो से।

एसडीआरएफ के तहत वित्त पोषण प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए प्रशासनिक तंत्र:

14. राज्य सरकारें पीडीएनए का संचालन करेंगी और अपनी संबंधित रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना तैयार करेंगी। पीडीएनए के निष्कर्ष और रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एसडीएमए को भेजा जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार एनडीएमए और एनआईडीएम से तकनीकी सहायता ले सकती है।

15. एसडीएमए, एसडीएमए के सदस्य/ विभागाध्यक्ष (HoD) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा, जिसमें एसडीआरएफ /एनडीआरएफ के आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत प्रस्तावों/ परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों और राज्य एजेंसियों/ अधिकार प्राप्त सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

16. समिति की सिफारिशें विचारार्थ एसईसी के समक्ष रखी जाएंगी तथा एसडीआरएफ से व्यय करने के लिए विद्यमान प्रक्रिया, सभी तौर-तरीकों सहित एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के आरएंडआर फंडिंग विंडो से व्यय करने हेतु यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

17. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित एसईसी एसडीआरएफ के आरएंडआर फंडिंग विंडो के प्रशासन से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेगा। राज्य सरकार यह प्रमाणित करेगी कि एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के आरएंडआर विंडो से जारी किए गए फंड का उपयोग उसी उद्देश्य के



लिए किया जाता है जिसके लिए उन्हें जारी किया गया है और राज्य सरकार आरएंडआर के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी करेगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राशि को अस्वीकार्य परियोजना गतिविधियों के व्यय में न प्रयोग किया जाए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यय केवल स्वीकृत परियोजना गतिविधियों पर ही हो।

एनडीआरएफ के तहत: -

18. एनडीआरएफ के आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं/ प्रस्तावों/ पीडीएनए रिपोर्ट पर एसईसी का अनुमोदन होना चाहिए।

19. निधियों की संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की जाएगी। यदि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मानदंडों के अनुसार रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए राज्य के पास एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि है, तो राज्य को तदनुसार सलाह दी जाएगी।

20. केंद्रीय टीम की मूल्यांकन रिपोर्ट एनडीएमए और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की टिप्पणियों के साथ, गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति के समक्ष विचारार्थ रखी जाएगी। एससी-एनईसी की सिफारिशों के साथ प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के समक्ष रखे जाएंगे। एचएलसी रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के प्रस्तावों को मंजूरी देगी।

20 (ए) चूंकि आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने का प्रथम प्रभार एसडीआरएफ पर होना चाहिए, इसलिए एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता जारी करना आरएंडआर विंडो के तहत अनुमोदित परियोजना की प्रतिबद्ध देनदारियों के समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल तक एसडीआरएफ की आरएंडआर विंडो में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन होगा। इन दिशा-निर्देशों के जारी होने की तिथि से राज्य सरकार



एसडीआरएफ दिशा-निर्देशों में परिकल्पित निर्धारित प्रारूप में आरएंडआर विंडो में उपलब्ध प्राप्तियों, व्यय और शेष राशि को ब्यौरा बनाए रखेगी।

निधियों का जारी होना:

21. उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर संबंधित राज्य सरकार को एनडीआरएफ की आरएंडआर फंडिंग विंडो से सहायता जारी करेगा। एनडीआरएफ के तहत राज्य में प्रचलित आरएंडआर फंडिंग विंडो से धनराशि जारी करने के लिए प्रक्रिया लागू होगी।

22. एसईसी द्वारा मंजूरी दिए जाने पर, एसडीआरएफ के तहत आरएंडआर फंडिंग विंडो से राज्यों को धनराशि जारी की जाएगी। एसडीआरएफ के तहत राज्य में प्रचलित आरएंडआर फंडिंग विंडो धनराशि जारी करने के लिए प्रक्रिया लागू होगी।

23. यदि राज्य सरकार की परियोजनाओं में, घटक की इकाई की लागत भारत सरकार की समतुल्य योजनाओं/ राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य मानक इकाई लागत के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार के बजट से वहन किया जाएगा तथा एसडीआरएफ या एनडीआरएफ से नहीं देय होगा।

24. एनडीआरएफ के मामले में एचएलसी द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, स्वीकृत राशि 30%, 40% और 30% की तीन किस्तों में धनराशि इस शर्त के साथ के जारी की जाएगी, कि पहले जारी की गई राशि का 75% उपयोग किया जाए। धनराशि का वितरण डिलिवरेबल्स और उपयोग प्रमाणपत्रों से जुड़ा होगा। एक वित्तीय वर्ष के अंत में एसडीआरएफ खाते के तहत आरएंडआर फंडिंग विंडो में अप्रयुक्त शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष के उक्त खाते का प्रारंभिक शेष होगी। केंद्र सरकार राज्य के एसडीआरएफ के तहत आरएंडआर फंडिंग विंडो में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में उपलब्ध किसी भी शेष राशि के संचालन के तौर-तरीकों के बारे में बताएगी।



परियोजनाओं का पर्यवेक्षण:

25. एनडीएमए/ एसडीएमए को रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों के मूल्यांकन, रिकवरी या पुनर्निर्माण में देखी गई कमियों के लिए योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसी योजनाओं में भविष्य के खतरों के लिए जोखिम रेज़ीलिटि एंट अवसंरचना ढांचे के उपायों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

26. आरएंडआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण एनडीएमए/ एसडीएमए करेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान कार्यान्वयन भागीदारों से प्रगति/ कार्य निष्पादन रिपोर्ट मांग सकते हैं। एनडीएमए गृह मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आरएंडआर परियोजना की प्रगति में किसी भी कमी के मामले में, एनडीएमए परियोजना के सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए, यदि आवश्यक हो, तो गृह मंत्रालय के परामर्श से, विशेष उपाय कर सकता है।

27. एसडीएमए, एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत रिकवरी एवं पुनर्निर्माण प्रस्तावों की संकल्पना से लेकर पूर्णता तक राज्य सरकार/ सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों को सहायता एवं तकनीकी सलाह प्रदान करेगा।

28. एसडीएमए आरएंडआर परियोजनाओं/ कार्यों की देखरेख और निगरानी करेगा तथा राज्य सरकार और एनडीएमए को एक पूर्णता प्रमाण-पत्र जिसमें जीआईएस टैगिंग के साथ-साथ योजना से प्राप्त वास्तविक लाभों, जिसमें लाभान्वित जनसंख्या/ कम हुए जोखिम की प्रकृति/ प्रभाव विश्लेषण आदि शामिल हैं, प्रस्तुत करेगा।

गृह मंत्रालय द्वारा निगरानी:

29. गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के संचालन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है, तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करेगा। गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशा-निर्देश/ निर्देश जारी कर सकता है। गृह मंत्रालय एनडीआरएफ से जारी किए गए फंड के उपयोग की निगरानी करेगा तथा



यह सुनिश्चित करेगा कि फंड का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उन्हें जारी किया गया है तथा एनडीआरएफ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेगा। राज्यों को, गृह मंत्रालय को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

खरीद:

30. प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली सभी खरीद सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017/ राज्य खरीद प्रक्रिया और जीईएम पोर्टल, जैसा भी लागू हो, की जाएंगी से लागू होगी। कार्यान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि परियोजना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू हो। पूरी कार्यान्वयन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हितों का कोई टकराव न हो। राज्यों और सरकार समर्थित संगठनों द्वारा उचित जीएफआर का पालन किया जाएगा।

परियोजना डेटाबेस:

31. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर व्यय के प्रभाव का आकलन करने में सहायता के लिए एक आपदा डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए। सभी परियोजना-संबंधी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जाएगा। एनडीएमए, एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के माध्यम से कार्यान्वित की गई सभी रिकवरी और पुनर्निर्माण परियोजनाओं का एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाए रखेगा। इस पोर्टल में रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए एक विशिष्ट घटक होगा जिसमें हानि और क्षति, रिकवरी सहायता, परियोजना घटक, व्यय, समीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम से संबंधित विवरण शामिल होंगे। गृह मंत्रालय/ एनडीएमए समय-समय पर समीक्षा करके डेटाबेस की निगरानी भी करेगा।

रिलीज, लेखा, लेखा परीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं

32. इन दिशा-निर्देशों के तहत अन्यथा प्रदान की गई बातों को छोड़कर, आरएंडआर फंडिंग विंडो के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत फंडिंग पैटर्न, फंड की रिलीज, फंड का निवेश, लेखा और लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, प्रगति की



निगरानी, बचत और रखरखाव/ कार्यान्वयन की लागत आदि वही होगी, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ पर इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए प्राथमिक दिशा-निर्देशों में परिकल्पित किया गया है, जो कि गृह मंत्रालय के दिनांक 12.01.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-03/2021-एनडीएम-1 के तहत जारी की गई हैं। एचएलसी और एससी-एनईसी की संरचना भी वही होगी, जो एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राथमिक दिशा-निर्देशों में परिकल्पित की गई है।

व्याख्या और संशोधन

33. इनमें से किसी भी दिशा-निर्देश की व्याख्या में किसी भी कठिनाई के मामले को गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसका व्यय विभाग के परामर्श से लिया गया उसका निर्णय अंतिम होगा। इस दिशा-निर्देश में कोई भी संशोधन गृह मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से जारी किया जाएगा।

dey

अनुलग्नक-1

-एसडीआरएफ के तहत आरएंडआर फंडिंग विंडो के लिए राज्य-वार आवंटन।

(करोड़ रुपये में)

S. No.	राज्य का नाम	संघ का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1854.9	616.8	2471.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	414.6	46.2	460.8
3.	असम	1280.4	142.2	1422.6
4.	बिहार	2347.2	782.4	3129.6
5.	छत्तीसगढ़	716.1	238.8	954.9
6.	गोवा	18.9	6	24.9
7.	गुजरात	2194.8	731.1	2925.9
8.	हरयाणा	814.5	271.2	1085.7
9.	हिमाचल प्रदेश	677.4	75	752.4
10.	झारखंड	941.4	313.2	1254.6
11.	कर्नाटक	1310.7	436.5	1747.2
12.	केरल	521.4	173.4	694.8
13.	मध्य प्रदेश	3017.7	1005.6	4023.3
14.	महाराष्ट्र	5340.9	1780.2	7121.1

15.	मणिपुर	70.2	7.8	78
16.	मेघालय	108.9	12	120.9
17.	मिजोरम	77.7	8.4	86.1
18.	नगालैंड	68.4	7.8	76.2
19.	ओडिशा	2659.5	886.2	3545.7
20.	पंजाब	820.8	273.6	1094.4
21.	राजस्थान	2455.8	818.1	3273.9
22.	सिक्किम	83.7	9.3	93
23.	तमिलनाडु	1691.1	563.7	2254.8
24.	तेलंगाना	744.9	248.1	993
25.	त्रिपुरा	113.4	12.6	126
26.	उत्तर प्रदेश	3205.5	1068.3	4273.8
27.	उत्तराखंड	1553.4	172.2	1725.6
28.	पश्चिम बंगाल	1676.1	558.9	2235
	कुल	36780.3	11265.6	48045.9

deu

अनुलग्नक-II

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
आवास (खड संख्या)	मैदानी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	1.80	0.90
	पहाड़ी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	2.00	1.00
शिक्षा (खड संख्या)	प्राथमिक स्कूल	15.00	7.50
	माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	25.00	12.50
स्वास्थ्य (खड संख्या)	उपकेंद्र (मैदानी क्षेत्र)	18.40	9.20
	उपकेंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	15.81	7.91
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	41.97	20.99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	49.45	24.72
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	158.12	79.06
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	185.72	92.86

De

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड

सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	(पहाड़ी क्षेत्र)		
सामुदायिक भवन (इकाई संख्या)	आंगनवाड़ी	6.00	3.00
	ग्राम पंचायत/पटवारखाना	10.00	5.00
सड़क एवं परिवहन (इकाई प्रति कि.मी.)	i) प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) (दरार/ गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	64.00	32.00
	(पहाड़ी क्षेत्र)	187.75	93.75
	ii) अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) (दरार/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	54.5	26.75
	(पहाड़ी क्षेत्र)	159.88	80.00
	iii) गाँव की सड़कें (टूट/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	मैदानी क्षेत्र	36.75	18.25
	पहाड़ी क्षेत्र	133.75	67.00

Deu

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मर्दों और मानदंड

सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	iv) अन्य मद		
	पुल (प्रति संख्या)	3500	1750
	तटबंध (प्रति कि.मी.)	100	50
	बॉक्स कल्वर्ट (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)		10
	ह्यूम पाइप (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)		2.5
पेयजल (इकाई-प्रति इकाई)	जल शोधन	0.5	0.25
	भंडारण टैंक	15	7.5
	उपकरण और मशीनरी	1	0.5
	इन्टेक पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
	वितरण पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
स्वच्छता (इकाईयाँ- प्रति इकाई)	विकेंद्रीकृत एसटीपी- (5000 लोगों तक)	7	3.5
	विकेंद्रीकृत एसटीपी- (5000 से अधिक लोग)	33	16.5
	सीवर लाइन (प्रति मीटर)	0.01	0.01

Dev

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	सामुदायिक शौचालय	3	1.5
अंतर्देशीय मत्स्य पालन इकाइयाँ- प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 1 हेक्टेयर)	मछली का तालाब (मैदानी क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
	(मैदानी क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
रेशम उत्पादन (इकाइयाँ- संख्या)	भौतिक अवसंरचना - किसान - रेशम उत्पादन	2.5	1.25
कारिगर इकाइयाँ- संख्या)	उपकरण और मशीनें	0.25	--

1) उपरोक्त मानदंड/सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i) सड़क और परिवहन क्षेत्र के तहत एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की आरएंडआर विंडो से सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि व्यय, किसी भी स्थिति में, वर्ष के लिए इस विंडो (रिकवरी और पुनर्निर्माण) के तहत एसडीआरएफ आवंटन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

des

ii) रिकवरी और पुनर्निर्माण के दिशानिर्देशों के तहत ग्राह्य मदों के लिए स्वीकार्य सहायता, मदों और मानदंडों के तहत निर्धारित उपरोक्त राशि या राज्य की दरों की अनुसूची के अनुसार अनुमानित राशि, जो भी कम हो, होगी।

2) कुल क्षति की स्थिति में सहायता भारत सरकार की संबंधित योजना में प्रदान की गई सहायता या विशेषज्ञों के परामर्श या संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इनपुट द्वारा निर्धारित राशि के 50% के बराबर होगी।

3) गंभीर क्षति के लिए सहायता कुल क्षति के लिए गणना की गई सहायता के 50% के बराबर होगी।

4) एनआईडीएम दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा के बाद के आकलन के दौरान अवसंरचना ढांचे की क्षति (कुल और गंभीर) का वर्गीकरण निर्धारित किया जाना चाहिए।

5) रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि राहत के समय विशेष समय के लिए दी गई सहायता के समायोजन के अधीन भी होगी।